

29-02-2024

पत्रावली पेश हुयी। कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-156(3)दण्ड प्रक्रिया संहिता कि अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जिस पर सम्बन्धित थाने से आख्या प्राप्त हो चुकी है।

आवेदक आज न्यायालय में न तो स्वयं उपस्थित है और न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित है। और ना ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही दाखिल किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहा है। आवेदक के उक्त आचारण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बल देना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र आवेदक के बल ना दिये जाने कारण खारिज किया जाता है।

आदेश

आवेदक द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बुलन्दशहर।

